

तिथि

आदेशफलक

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बाबुमाता द्वारा अभिलेख संख्या- 19/11-12 संधारित कर उपलब्ध कराया गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अंचलाधिकारी बाबुमाता के द्वारा लगान-धार्य करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं की गयी है। साथ ही आवेदक विगत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित होकर वाद में कोई पैरवी/पक्ष नहीं रखे है, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद में कोई अभिरुची नहीं है। साथ ही Revisional Survey Khatiyan के प्रकाशन के पश्चात् Cadastral Survey Khatiyan के आधार पर लगान-धार्य करना नियमसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभिलेख अंचल अधिकारी बाबुमाता को वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
धनबाद।